



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062026-273348
CG-DL-E-11062026-273348

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 416]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 11, 2026/ज्येष्ठ 21, 1948

No. 416]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 11, 2026/JYAISTHA 21, 1948

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2026

सा.का.नि. 466(अ) .— केंद्रीय सरकार भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और धारा 7 और भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम 5.9 गीगाहर्ट्ज बैंड में सेलुलर वाहन-से-सबकुछ संचार के लिए ऑन बोर्ड यूनिट का उपयोग (अनुज्ञापन अपेक्षाओं से छूट) नियम, 2026 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- लागू होना — ये 5875-5905 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड की बाबत लागू होंगे।

3. परिभाषाएँ — (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) "समतुल्य समहिक विकिरणित शक्ति" से कुल शक्ति जिसे एंटीना की सबसे मजबूत बीम की दिशा में वास्तविक स्रोत के समान सिग्नल शक्ति देने के लिए एक काल्पनिक समहिक एंटीना द्वारा विकीर्ण करना होगा, अभिप्रेत है;
- (ख) "व्यतिकरण" से रेडियो संचार प्रणाली में अभिग्रहण पर उत्सर्जन, विकिरण या प्रेरण के एक या संयोजन के कारण अवांछित ऊर्जा का प्रभाव, किसी भी निष्पादन में गिरावट, गलत निर्वचन या किसी सूचना की हानि से प्रकट होता है जो ऐसी अवांछित ऊर्जा की अनुपस्थिति में निकाला जा सकता था, अभिप्रेत है;
- (ग) "अंतर्राष्ट्रीय मानकों" से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, यूरोपीय दूरसंचार मानक संस्थान, अमेरिकी राष्ट्रीय मानक संस्थान और गैर-आयनीकरण विकिरण संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रकाशित मानक अभिप्रेत हैं;
- (घ) "अधिकतम शक्ति वर्णक्रमीय घनत्व" से रेडियो उपस्कर के ऑपरेटिंग बैंड में विनिर्दिष्ट माप बैंडविड्थ के भीतर अधिकतम शक्ति, 5875-5905 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड में माप 1 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ पर बनाया गया है, अभिप्रेत है;
- (ङ) "ऑन बोर्ड यूनिट" से ऐसा रेडियो उपस्कर (इसके एंटीना सहित) अभिप्रेत है, जो सड़क परिवहन के प्रयोजन से स्थापित अभिन्न परिवहन प्रणाली के भाग के रूप में संचालित होता है और-
 - (i) एक वाहन पर स्थापित है;
 - (ii) एक वाहन का भाग बनता है, भले ही वह वाहन का भाग था जब इसे विनिर्मित किया गया था; या
 - (iii) किसी वाहन के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा धारित या ले जाया जाता है;
- (च) "पोर्टल" से ऐसा पोर्टल जैसा कि केंद्रीय सरकार इस संबंध में दूरसंचार विभाग, भारत सरकार की वेबसाइट पर विनिर्दिष्ट कर सकेगी, अभिप्रेत है; और
- (छ) "शक्ति वर्णक्रमीय घनत्व" से स्पंद या स्पंदों के अनुक्रम से प्रति यूनिट बैंडविड्थ कुल ऊर्जा उत्पादन जिसके लिए पारेषण शक्ति अपने अधिकतम स्तर पर है, स्पंद की कुल अवधि और स्पंद के बीच के समय, जिसके दौरान पारेषण शक्ति बंद है या अपने अधिकतम स्तर से नीचे है, को छोड़कर कुल समय के योग से विभाजित है, अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13), भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17), उक्त अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों या केंद्रीय सरकार की राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उक्त अधिनियमों, नियमों या योजना में हैं।

4. अनुज्ञापन अपेक्षा से छूट- (1) भारतीय बेतार तारयांत्रिकी (कब्जा) नियम, 1965 में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, उपनियम (2) से उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति के अध्वधीन रहते हुए-

- (क) किसी वाहन पर स्थापित ऑन बोर्ड यूनिट की स्थापना, रखरखाव या कार्य, ऐसे वाहन का भाग बनाना या सेलुलर वाहन-से-सब कुछ संचार के एकमात्र प्रयोजन के लिए वाहन के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा रखना या ले जाया जाना, जो 5875-5905 मेगाहर्ट्ज़ आवृत्ति बैंड में अभिज्ञ परिवहन प्रणाली के भाग के रूप में प्रचलित होता है, रेडियो आवृत्ति के समनुदेशन के बिना, गैर-व्यतिकरण, गैर-सुरक्षा और गैर-अनन्य आधार पर अनुज्ञात किया जाएगा; और
- (ख) किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसे ऑन बोर्ड यूनिट के कब्जे के लिए या किसी भी व्यवहारी द्वारा इसके विक्रय या किराए के लिए कोई अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी।

(2) ऑन बोर्ड यूनिट नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट मापदंडों के अनुरूप होगी: -

सारणी

आवृत्ति बैंड	इन-बैंड उत्सर्जन के लिए अधिकतम शक्ति वर्णक्रमीय घनत्व समतुल्य समहिक विकिरित शक्ति	इन-बैंड उत्सर्जन के लिए अधिकतम समतुल्य समहिक विकिरित शक्ति	बैंड उत्सर्जन में से (अधिकतम शक्ति वर्णक्रमीय घनत्व)
(1)	(2)	(3)	(4)
5875-5905 मेगाहर्ट्ज़	23 डीबीएम/ मेगाहर्ट्ज़	33 डीबीएम	-30 बीएम/ मेगाहर्ट्ज़

(3) उपनियम (1) के अधीन अनुज्ञा और छूट, अनुसूची में उपवर्णित प्ररूप में पोर्टल पर इस संबंध में आवेदन करके ऑन बोर्ड यूनिट के प्रत्येक उपस्कर प्रकार के लिए मांगी जाएगी:

परंतु ऐसा कोई आवेदन अपेक्षित नहीं होगा जहां सुसंगत उपस्कर प्रकार के लिए ऐसी मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है और पोर्टल पर प्रकाशित हो चुकी है।

(4) ऑन बोर्ड यूनिट ऐसे मानकों के अनुरूप होगी जो भारतीय मानक ब्यूरो या केंद्रीय सरकार या दोनों द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाए:

परंतु जहां ऐसे कोई मानक प्रकाशित नहीं किए गए हैं, ऑन बोर्ड यूनिट सुसंगत अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा।

(5) भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) और भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) के अधीन अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति से कोई भी सूचना प्राप्त होने पर कि उसकी अनुज्ञप्ति प्राप्त प्रणाली को इन नियमों के अधीन छूट प्राप्त किसी अन्य रेडियो उपस्कर से हानिकारक व्यतिकरण प्राप्त हो रहा है, केंद्रीय सरकार या ऐसा अधिकारी जो इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किया जाए, ऐसे छूट प्राप्त रेडियो उपस्कर के उपयोक्ता को सीधे निदेशित कर सकेगा कि वह व्यतिकरण से बचने के लिए शीघ्रता से और ऐसी समय सीमा जो ऐसे निदेश में विनिर्दिष्ट की जाये के पहले उपाय करें जैसे उपस्कर का स्थानांतरण, इसकी शक्ति में कमी और विनिर्दिष्ट प्रकार के एंटीना के उपयोग।

अनुसूची

[नियम 4(3) देखें]

उपस्कर प्रकार अनुमोदन के लिए आवेदन*

भाग क : आवेदक के ब्यौरे

1. उपस्कर प्रकार अनुमोदन के लिए आवेदन करने वाले :
विनिर्माता अभिकरण का नाम
2. विनिर्माता अभिकरण का डाक पता :
3. प्रकार अनुमोदन के लिए आवेदन करने वाले भारतीय :
अभिकरण का नाम और पता
4. उत्पाद का नाम और उत्पाद :
पहचान (मॉडल सं आदि)

भाग ख: प्रेषित का वर्णन

5. आवृत्ति रेंज :
6. प्रीसेट स्विचेबल चैनलों की संख्या :
7. वॉइस/डाटा/टेलीविजन चैनलों की संख्या :
(मल्टी-चैनल उपस्कर की दशा में)
8. टीएक्स-आरएक्स चैनल पृथक्करण :
(डुप्लेक्स/मल्टी-चैनल उपस्कर की दशा में)
9. समीपवर्ती चैनल पृथक्करण :
(मल्टी-चैनल उपस्कर की दशा में)
10. आवृत्ति स्थायित्व :
11. अप्रामाणिक/हार्मोनिक विकिरण :
(क) कैरियर सप्रेशन :
(कैरियर सप्रेस्ड तंत्र की दशा में)
(ख) अवांछित साइड बैंड सप्रेशन :
(सिंगल साइड बैंड तंत्र की दशा में)
(ग) द्वितीय हार्मोनिक विकिरण :
(घ) तृतीय हार्मोनिक विकिरण :
12. अधिकतम आवृत्ति विचलन:
13. उत्सर्जन की रीति :
14. उत्सर्जन की बैंडविड्थ :
15. परीक्षण टोन विचलन :
16. आधार बैंड आवृत्ति :
(मल्टी-चैनल उपस्कर की दशा में)
17. अपेक्षित मॉड्यूलेशन का प्रकार :

18. पूर्व-बल :
19. शक्ति आउटपुट (एंटीना के इनपुट पर) :
20. कोई अन्य जानकारी :

भाग ग : प्राप्तकर्ताओं के ब्यौरे

21. आवृत्ति रेंज :
22. प्राप्ति की रीति :
23. प्राप्तकर्ता की अप्रमाणिक प्रतिक्रिया :
24. संवेदनशीलता :
25. आवृत्ति स्थायित्व :
26. (ए) प्रभावी ध्वनि तापमान :
(बी) थ्रेशोल्ड इनपुट स्तर :
27. मध्यवर्ती आवृत्ति :
28. डी-एम्फेसिस :
29. चयनशीलता :
30. कोई अन्य विशिष्टियाँ :

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख:

*टिप्पण : प्रत्येक प्रकार के उपस्कर के लिए अलग आवेदन प्रस्तुत किए जाने चाहिए

[फा. सं. आर-11018/02/2022-पीपी]

देवेन्द्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2026

G.S.R. 466(E).—In exercise of the powers conferred by sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Use of On Board Unit for Cellular Vehicle-to-Everything Communication in the 5.9 GHz band (Exemption from Licensing Requirements) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—They shall apply in respect of the 5875-5905 MHz frequency band.

3. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) “equivalent isotropic radiated power” means the total power that would have to be radiated by a hypothetical isotropic antenna to give the same signal strength as the actual source in the direction of the strongest beam of the antenna;
- (b) “interference” shall mean the effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations or induction on reception in a radio communication system, manifested by any performance degradation, misinterpretation or loss of information that could have been extracted in the absence of such unwanted energy;
- (c) “international standards” shall mean standards published by international organisations such as the International Telecommunications Union, the European Telecommunications Standards Institute, the American National Standards Institute and the International Commission on Non-Ionising Radiation Protection;
- (d) “maximum power spectral density” means the maximum power within the specified measurement bandwidth, in the operating band of the radio equipment, with measurements in the 5875-5905 MHz frequency band being made over a bandwidth of 1 MHz;
- (e) “On Board Unit” means a radio equipment (including its antenna), which is operated as part of an intelligent transport system established for the purpose of road transport and—
 - (i) is installed on a vehicle;
 - (ii) forms part of a vehicle, regardless of whether it was part of the vehicle when it was manufactured; or
 - (iii) is held or carried by an individual in relation to a vehicle;
- (f) “portal” means such portal as the Central Government may specify in this behalf on the website of the Department of Telecommunications, Government of India; and
- (g) “power spectral density” means the total energy output per unit bandwidth from a pulse or sequence of pulses for which the transmit power is at its maximum level, divided by the summation of the total duration of pulses and the total time exclusive of the time between pulses during which the transmit power is off or below its maximum level.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the rules made under the said Acts or the National Frequency Allocation Plan of the Central Government shall have the meanings respectively assigned to them in the said Acts, the rules or the plan.

4. Exemption from licensing requirement.—(1) Notwithstanding anything contained in the Indian Wireless Telegraphy (Possession) Rules, 1965, subject to fulfilment of the conditions specified in sub-rules (2) to (5),—

- (a) the establishment, maintenance or working of On Board Unit installed on a vehicle, forming a part of such vehicle or held or carried by an individual in relation to a vehicle for the sole purpose of cellular vehicle-to-everything communication, which is operated as part of an intelligent transport system in the 5875-5905 MHz frequency band, shall be permitted without assignment of radio frequency, on non-interference, non-protection and non-exclusive basis; and
- (b) no license shall be required for possession of such On Board Unit by any person or its sale or hire by any dealer.

(2) The On Board Unit shall conform to the parameters specified in the Table below:—

TABLE

Frequency band	Maximum power spectral density equivalent isotropic radiated power for in-band emissions	Maximum equivalent isotropic radiated power for in-band emissions	Out of band emissions (maximum power spectral density)
(1)	(2)	(3)	(4)
5875-5905 MHz	23 dBm/MHz	33 dBm	-30 dBm/MHz

(3) Permission and exemption under sub-rule (1) shall be sought for each equipment type of On Board Unit by making an application in this behalf on the portal in the form set out in the Schedule:

Provided that no such application shall be required where such approval has previously been accorded for the relevant equipment type and is published on the portal.

(4) The On Board Unit shall be in conformity with such standards as may be notified from time to time by the Bureau of Indian Standards or the Central Government or both:

Provided that where no such standards have been published, the On Board Unit shall conform to relevant international standards.

(5) On receipt of any information from a person who holds a license under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933) that his licensed system is receiving harmful interference from any other radio equipment exempted under these rules, the Central Government or such officer as may be authorised by it in this behalf may direct the user of such exempted radio equipment to expeditiously and not later than such timeframe as may be specified in such direction, carry out measures to avoid interference such as relocation of equipment, reduction in its power and use of antennae of specified type.

SCHEDULE

[See rule 4(3)]

Form of application for equipment type approval*

Section A: Details of applicant

1. Name of manufacturing agency applying for equipment type approval :
2. Postal address of manufacturing agency :
3. Name and address of Indian agency applying for the type approval :
4. Name of product and the product identification (model number etc.) :

Section B: Details of transmitter

5. Frequency range :
6. Number of preset switchable channels :
7. Number of voice/data/television channels (In case of multi-channel equipment) :
8. Tx-Rx channel separation (In case of duplex/multi-channel equipment) :

9. Adjacent channel separation :
(In case of multi-channel equipment)
10. Frequency stability :
11. Spurious/harmonic radiations :
 - (a) Carrier suppression :
(In case of carrier suppressed systems)
 - (b) Unwanted side band suppression :
(In case of single side band systems)
 - (c) 2nd harmonic radiations :
 - (d) 3rd harmonic radiations :
12. Maximum frequency deviation:
13. Mode of emission :
14. Bandwidth of emission :
15. Test tone deviation :
16. Base band frequency :
(In case of multi-channel equipment)
17. Type of modulation to be required :
18. Pre-emphasis :
19. Power output (At the input of antenna) :
20. Any other information :

Section C: Details of receivers

21. Frequency range :
22. Mode of reception :
23. Spurious response of receiver :
24. Sensitivity :
25. Frequency stability :
26. (a) Effective noise temperature :
(b) Threshold input level :
27. Intermediate frequency :
28. De-emphasis :
29. Selectivity :
30. Any other particulars :

Signature of the applicant

Place:

Date:

***Note:** Separate application should be submitted for each type of equipment

[F.No. R-11018/02/2022-PP]

DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.